# अधिसूचना

दिसम्बर 5, 2008 ई0

सं0 एफ–9(22)/आर जी/यूईआरसी/2008/1197–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 व धारा 57 के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होना :

(1) ये विनियम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये ईएचटी व एचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

(4) ये विनियम, केवल एचटी एवं ईएचटी संयोजनों पर लागू होंगे। इनमें नये संयोजन प्रदान करना तथा पहले स्वीकृत भारों में वृद्धि या कमी करना सम्मिलित होगा।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "सहमति पत्र" से, अपने व्याकरणिक भेदों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, संलग्नक 1.3 में विनिर्दिष्ट आरूप में वितरण अनुज्ञापी तथा उपभोक्ता द्वारा किया गया करार अभिप्रेत है;

(2) बैंक दर से, आर बी आई अधिनियम, 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया यू/एस 49 द्वारा अधिसूचित दर अभिप्रेत है;

(3) "निरन्तर प्रक्रिया उद्योगों" से उनकी प्रक्रिया के निरन्तर स्वभाव के कारण निरन्तर आपूर्ति की आवश्यकता वाले उद्योग अभिप्रेत होंगे, जैसे शीशा, वस्त्र, कागज इत्यादि। कोई प्रक्रिया निरन्तर है या नहीं, यह निर्णय वितरण अनुज्ञापी के प्रबंधन द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के आधार पर किया जायेगा जिसे लागू करने के पहले आयोग द्वारा अनुमोदित कराना होगा;

(4) "अर्थिंग प्रणाली" में निम्नलिखित समावेशित होगा :–

(ए) करंट प्रवाहित न होने वाले सभी धातु कार्यों को उचित अर्थ पोटेंशियल पर बनाये रखने तथा ऐसे धातु कार्यों पर हानिकारक संभावित संपर्क विकसित होना, टालने के लिये सुसंगत भारतीय मानकों के साथ अनुमन्य तापमान सीमा के भीतर रहते हुए अर्थ के सामान्य मास पर करंट फैलाने के लिये पाईप/रोड/प्लेट के समूह तथा संभावित अर्थ फॉल्ट करंट ले जाने में सक्षम इक्विपोटेन्शियल बौन्डिंग कन्डक्टर्स,

(बी) न्यूट्रल शिफ्टिंग को कम करने तथा समर्थक क्रियाशील युक्तियों के परिचालन हेतु पर्याप्त फॉल्ट करेन्ट जारी करने के लिये अर्थ प्रतिरोधकता को पर्याप्त रूप से सीमित करना,

(सी) संस्थापना के जीवन काल में विद्युत की निरन्तरता बनाये रखना। यांत्रिक रूप से सशक्त होना व क्षय को सहन करना। विद्युत आपूर्ति लाईनों या उपकरणों को विद्युतीकरण से पहले दक्ष अर्थिंग की सुनिश्चितता हेतु सभी अर्थिंग प्रणालियों का परीक्षण किया जायेगा;

(5) "एक्सट्रा हाई टैंशन (ईएचटी)" से भारतीय विद्युत नियम, 1956 या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरक्षित उनके परवर्ती विनियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तन के अध्यधीन सामान्य परिस्थितियों में 650 से ऊपर तथा 3300 वोल्ट्स तक वोल्टेज अभिप्रेत है;

यह विनियम दिनांक 20–12–2008 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(6) ''विद्युतीकरण क्षेत्र'' से सभी नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, टाउन एरिया, अधिसूचित क्षेत्रों तथा अन्य निगमों के अधीन आने वाले क्षेत्र तथा गांवों में वितरण अनुज्ञापी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकृत घोषित क्षेत्र अभिप्रेत होंगे;

(7) ''हाई टैंशन (एचटी)'' से भारतीय विद्युत नियम, 1956 या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरक्षित उनके परवर्ती विनियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तन के अध्यधीन सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट्स से 3300 वोल्ट्स तक वोल्टेज अभिप्रेत है;

(8) ''बकाया देय राशि'' से संयोजन विच्छेदन के समय उक्त परिक्षेत्र पर लंबित सभी बकाया विद्युत देय तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के अध्यधीन देय से संदाय अधिभार अभिप्रेत है;

(9) ''नियमों'' से भारतीय विद्युत नियम, 1956 या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरक्षित परवर्ती विनियम अभिप्रेत हैं।

(10) ''यू पी सी एल'' से उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा इसकी उत्तराधिकारी सत्ता/सत्ताएं अभिप्रेत हैं जो कि वर्तमान में राज्य में एकमात्र वितरण अनुज्ञापी है जिसे आयोग द्वारा वितरण तथा खुदरा आपूर्ति लाइसेन्स सौंपा गया है।

(11) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों व अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित है।

3. एचटी/ईएचटी संयोजन प्रदान करने के लिये शर्तें :

(1) 88 के वी ए से ऊपर सभी संयोजन केवल केवीए में संविदाकृत भार के साथ एचटी/ईएचटी पर जारी किये जायेंगे।

(2) 1 एम वी ए से अधिक सभी भार, दोनों सिरों पर मीटरिंग व्यवस्था वाले समीपस्थ 33 के वी/66 के वी/132 के वी उपस्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों के साथ संस्वीकृत किये जायेंगे :
परन्तु, यदि प्रस्तावित स्वतन्त्र फीडर हेतु मार्ग का अधिकार उपलब्ध नहीं है तो 1 एम वी ए से ऊपर ऐसे भार या तो भूमिगत केबल्स के माध्यम से या वर्तमान फीडर से संस्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते कि ऐसे फीडर पर 50: से अधिक अतिरिक्त क्षमता है :
परन्तु आगे यह भी, कि आवेदित भार को दृष्टिगत न रख कर निरन्तर पूर्ति की आवश्यकता वाले निरन्तर प्रक्रिया उद्योगों के लिये संयोजन केवल स्वतंत्र फीडर के माध्यम से किया जायेगा।

(3) आपूर्ति की वोल्टेज निम्नलिखित अनुसार होगी :—

| | |
|---|---|
| 88 केवीए से अधिक तथा 3000 केवीए तक का भार | 11 के वी |
| 3000 केवीए से अधिक तथा 10000 केवीए तक का भार | 33 के वी |
| 10000 केवीए से अधिक तथा 50000 केवीए तक का भार | 132 के वी |
| 50000 केवीए से अधिक के भार | 220 के वी |

परन्तु, आवेदक को ऊपर इंगित आपूर्ति की वोल्टेज से ऊंची वोल्टेज पर संयोजन लेने की अनुमति होगी :
परन्तु आगे यह भी, कि सभी स्टील इकाई जैसे इन्डक्शन/आर्क फर्नेसेज या रोलिंग मिल्स, री रोलिंग मिल्स, मिनी स्टील प्लान्ट्स इत्यादि बिना आवेदित भार को दृष्टिगत रखे 33 के वी भार पर तथा केवल स्वतंत्र फीडर के माध्यम से संस्वीकृत किये जायेंगे।

(4) एक नये उपभोक्ता को संयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार विशिष्टताओं वाले केवल सही 3 फेज 4 वायर एनर्जी विद्युत मीटरों के साथ ही प्रदान किया जायेगा तथा उक्त विनियम में निर्धारित किये अनुसार ही इस की संस्थापना की जायेगी।

(5) एचटी या ईएचटी पर सभी नये संयोजनों के लिये नीचे उप विनियम (7) में दिये गये अनुसार परिशुद्धता का अगला उच्च स्तर–सिंगल रेशियो करेन्ट ट्रांसफॉर्मर (सी.टी.) उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में मीटरिंग के उद्देश्य हेतु मल्टी रेशियो सी.टी. का उपयोग नहीं किया जायेगा। सी.टी तथा मीटर के मध्य केबल्स का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 6 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(6) एचटी तथा ईएचटी पर सभी नये संयोजनों पर नीचे उप विनियम (7) में दी गई परिशुद्धता श्रेणी का पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर (पी.टी.) मीटरिंग हेतु उपयोग में लाया जायेगा। मेजरिंग पी.टी. पर कोई अन्य भार नहीं डाला जायेगा। पी.टी. तथा मीटर के मध्य केबल्स का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 6 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(7) मीटर्स, करेन्ट ट्रांसफॉर्मर तथा पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर (पी.टी.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन तथा परिचालन) विनियम, 2006 में लिखित सम्बन्धित विनियमों के अनुसार परिशुद्धता श्रेणी की निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे :—

परिशुद्धता श्रेणी

| आपूर्ति की वोल्टेज | मीटर्स | सी.टी. तथा पी.टी. |
|---|---|---|
| 650 वोल्ट से अधिक | 0.5 एस या बेहतर | 0.5 एस या बेहतर |
| 33 के वी से अधिक | 0.2 एस या बेहतर | 0.2 एस या बेहतर: |

परन्तु, ऐसे मामलों में जहां सी.टी. तथा पी.टी. की परिशुद्धता श्रेणी वही है जो कि मीटरों की तथा उन्हें मीटरिंग क्यूबिकल या पैनल में स्थान की कमी के कारण जगह नहीं दी जा सकती, वहां अगली निम्न परिशुद्धता श्रेणी के सी.टी. तथा पी.टी. को संस्थापित किया जा सकता है।

(8) नये एच टी/ई एच टी संयोजन हेतु आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह यूईआरसी (वितरण संहिता) विनियम, 2007, यूईआरसी (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 तथा अन्य सभी नियमों/विनियमों के सुसंगत एवं लागू उपबन्धों का पालन करेगा।

(9) जहाँ नये स्वामी/अधिभोगी ने ऐसी विद्यमान संपत्ति क्रय की है/किराये पर ली है या कानूनी रूप से प्राप्त की है जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है, तो यह नये/उत्तरव्यापी स्वामी/अधिभोगी का कर्त्तव्य होगा कि वह संपत्ति के क्रय/अधिभोग से पहले यह सत्यापित करे कि पूर्व स्वामी/अधिभोगी ने वितरण अनुज्ञापी को सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया है तथा वितरण अनुज्ञापी से "अदेयता प्रमाण–पत्र" प्राप्त कर लिया है। यदि पूर्व स्वामी/अधिभोगी द्वारा ऐसा "अदेयता प्रमाण–पत्र" प्राप्त नहीं किया गया है तो नया/उत्तरव्यापी स्वामी/अधिभोगी, संपत्ति के क्रय/अधिभोग से पहले ही ऐसे प्रमाण–पत्र हेतु वितरण अनुज्ञापी के संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वितरण अनुज्ञापी ऐसे निवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेगा तथा या तो वह संपत्ति पर बकाया देय धनराशि यदि कुछ है, लिखित में सूचित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर अदेयता प्रमाण–पत्र जारी करेगा। यदि वितरण अनुज्ञापी इस समय के भीतर बकाया देय धनराशि की सूचना नहीं देता है या "अदेयता प्रमाण–पत्र" जारी नहीं करता है तो पूर्व स्वामी पर बकाया देय धनराशि के आधार पर परिक्षेत्र में नये संयोजन को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में वितरण अनुज्ञापी को विधि के उपबंधों के अधीन पूर्व उपभोक्ता से बकाया देय धन राशि वसूल करनी होगी।

(10) जहां संपत्ति का क्रय सार्वजनिक नीलामी में किया गया है, वहां उपरोक्त उप विनियम (9) के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा वितरण अनुज्ञापी को अपने बकाया देय विधि के उपबंधों के अनुसार पूर्व उपभोक्ता से वसूल करने होंगे।

(11) जहां कोई संपत्ति विधि रूप से उपविभाजित की गई है, वहां ऐसी अविभाजित संपत्ति पर ऊर्जा के उपयोग हेतु बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है तो वह ऐसी उपविभाजित संपत्ति में क्षेत्र के आधार पर यथानुपातिक रूप से विभाजित की जायेगी।

(12) ऐसे उपविभाजित परिक्षेत्र के किसी भाग हेतु नवीन संयोजन विधि संगत रूप में विभाजित ऐसे परिक्षेत्र पर लागू बकाया देय धन राशि का भाग आवेदक द्वारा अदा कर दिये जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा। वितरण अनुज्ञापी केवल इस आधार पर कि ऐसे परिक्षेत्र के अन्य भाग(गों) की देय राशि का देय भुगतान नहीं किया गया है, किसी आवेदक को संयोजन हेतु इनकार नहीं करेगा, ना ही वितरण अनुज्ञापी ऐसे आवेदकों से अन्य भाग(गों) के पिछले भुगतान किये गये बिलों का रिकार्ड मांगेगा।

(13) संपूर्ण परिक्षेत्र या भवन के गिराये जाने, पुनर्निर्माण के मामले में उपभोक्ता को वर्तमान संयोजन व करार को निलंबन हेतु आवेदन करना होगा। उपभोक्ता को ऐसे आवेदन की अवधि भी इंगित करनी होगी।

उपभोक्ता पुनर्निर्माण के उद्देश्य हेतु अस्थायी संयोजन के लिये भी आवेदन करेगा। वर्तमान एचटी/ईएचटी लाईनों को हटाया नहीं जायेगा। पुनर्निर्माण होने पर उपभोक्ता अस्थायी संयोजन कटवा लेगा तथा निलंबित पुराने संयोजन के पुनः ऊर्जाकरण हेतु आवेदन करेगा। पुराने संयोजन का ऊर्जाकरण बकाया देयों तथा पुनः संयोजन प्रभार के भुगतान के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि उपभोक्ता भार में वृद्धि चाहता है तो उसे विनियम 9 के अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी।

4. नये एच टी/ई एच टी संयोजन हेतु आवेदन :

(1) नये एच टी/ई एच टी संयोजन जारी करने के लिये आवेदन नीचे दिये दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा तथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा आगे दिये गये अनुसार इनका प्रक्रमण किया जायेगा।

(2) एक नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञापी को इस के लिये आवेदन, संलग्नक–1 में दिये गये निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर संबंधित खण्ड कार्यालय में करेगा। इसके साथ में निम्नलिखित अनुसार अप्रतिदेय रजिस्ट्रेशन तथा प्रोसेसिंग शुल्क भी देय होगा :–

| | |
|---|---|
| 11 के वी पर संयोजन | रु0 5,000/– |
| 33 के वी पर संयोजन | रु0 10,000/– |
| 132 के वी पर संयोजन | रु0 25,000/– |
| 220 पर या उससे ऊपर संयोजन | रु0 50,000/– |

(3) निर्धारित आवेदन प्रपत्र वितरण अनुज्ञापी के खण्ड या उपखण्ड कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या वितरण अनुज्ञापी की विभागीय वेबसाईट www.uttaranchalpower.com तथा www.upcl.org से डाउनलोड किये जा सकते हैं या फोटो कापी भी किये जा सकते हैं।

(4) आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं :–

(ए) स्वामित्व या अधिभोग का प्रमाण तथा वैधानिक अनुमतियां/पंजीकरण :

आवेदक, आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ जमा करेगा :–

(i) निम्नलिखित के रूप में परिक्षेत्र के स्वामित्व/अधिभोग का प्रमाण :

(ए) आवेदन की तिथि से पूर्व तीन माह के भीतर जारी नवीनतम किराया रसीद के साथ विक्रय लेख या पट्टा लेख की प्रति या खसरा खतौनी की प्रति (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा), या

(बी) पंजीकृत मुख्त्यारनामा, या

(सी) नगरपालिका कर रसीद या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज, या

(डी) आवंटन–पत्र, तथा

(ii) यदि किसी विधि या संविधि द्वारा अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी, जैसे प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, निदेशक, उद्योग इत्यादि की स्वीकृति हेतु आवेदन का प्रमाण/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(iii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख तथा प्रमाणित पतों के साथ निदेशकों की सूची।

(iv) लिमिटेड कंपनी के मामले में ज्ञापन, संस्था के अन्तर्नियम, निगमीकरण का प्रमाण–पत्र तथा निदेशकों के नाम व उनके प्रमाणित पतों की सूची

(v) कोई आवेदक जो परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है किन्तु परिक्षेत्र पर उसका कब्जा है, उपरोक्त सं0 (i) एवं (iv) में दिये गये दस्तावेजों के साथ परिक्षेत्र के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी जमा करेगा।

(बी) पहचान प्रमाण :

(i) यदि आवेदक एक अकेला व्यक्ति है तो पहचान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति जमा करानी होगी :–

(ए) निर्वाचन पहचान कार्ड, या

(बी) पासपोर्ट, या

(सी) ड्राइविंग लाइसेन्स, या

(डी) फोटो राशन कार्ड, या

(ii) यदि आवेदन कोई कम्पनी फर्म, न्यास, विद्यालय/महाविद्यालय, सरकारी विभाग है तो संबंधित कम्पनी, संस्था के प्रासंगिक प्रस्ताव/प्राधिकारी पत्र की प्रामाणिक प्रति के साथ आवेदन पर निदेशक, स्वामी, भागीदार, शाखा प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियन्ता जैसे सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। ऐसा व्यक्ति उपरोक्त (i) पर उल्लिखित पहचान प्रमाणों में से एक की प्रति भी जमा करेगा।

(सी) अनन्तिम तिथि हेतु वचन जिस पर आवेदक का कार्य पूर्ण हो कर ऊर्जाकरण के लिये तैयार होगा।

नोट–सामान्यता ऐसा कोई दस्तावेज जो सूची में नहीं है, अपेक्षित नहीं होगा तथा मांगा नहीं जायेगा।

(5) उपभोक्ता साथ ही अपने विकल्प पर, अन्तिम अनुमति पाने में विलंब को टालने के लिये, विद्युत निरीक्षक की स्वीकृति हेतु उसके कार्यालय पर, संस्थापना हेतु उपकरण/उपस्कर की रेटिंग जैसे अन्य विवरण तथा नक्शे के रेखा चित्र जमा कर सकता है।

(6) आवेदक से विधिवत भरा प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात् वितरण अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्रपत्र की जाँच करेगा तथा आवेदन में यदि कोई त्रुटि पाई जाये तो आवेदक से तुरन्त सुधार करवायेगा। वितरण अनुज्ञापी का अधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्ति की रसीद, तिथि के साथ जारी करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञापी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या परिक्षेत्र पर कोई देय धनराशि बकाया है तथा यदि है तो वितरण अनुज्ञापी ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण तथा पन्द्रह दिन का समय इसे जमा करने हेतु देते हुए, आवेदन की तिथि से पांच दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को यह बकाया देय धनराशि उक्त पन्द्रह दिन के समय के भीतर जमा करानी होगी अन्यथा उसका आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा प्राप्ति की स्वीकृति के अधीन लिखित में उसको इसकी सूचना दे दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कि आवेदक 15 दिन के भीतर बकाया देय जमा कर देता है, आवेदन प्राप्ति की तिथि ऐसे जमा की तिथि मानी जायेगी।

(8) वितरण अनुज्ञापी, आवेदन प्राप्ति की तिथि से लाइन रूट हेतु सर्वेक्षण तथा संबंधित कार्यों सहित ऐसे संयोजन प्रदान करने की साध्यता का अध्ययन करेगा तथा भार स्वीकृत करेगा। यदि 132 के वी या 220 के वी पर पारेषण अनुज्ञापी से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाना अपेक्षित है तो वितरण अनुज्ञापी तुरन्त पारेषण अनुज्ञापी को ऐसा अध्ययन करने के लिये सूचित करेगा तथा उससे कार्यों के प्रभारों का प्राक्कलन प्राप्त करेगा। वितरण अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि वह नीचे दी गई सारिणी–1 के अनुसार जमा की जाने वाली आँकलित आवश्यक राशि तथा वह तिथि जिस तक उक्त एक माह के भीतर यह राशि जमा की जानी है, की सूचना आवेदक को दे। वितरण अनुज्ञापी उक्त संवाद में, ऐसा संयोजन प्रदान किये जाने की लगभग समय सीमा भी इंगित करेगा जो कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट या अपने आवेदन में उपभोक्ता द्वारा इंगित अनंतिम तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(9) कोई भी आवेदन "तकनीकी रूप से साध्य नहीं" या सामग्री की बाध्यता के आधार पर वापस नहीं किया जायेगा।

(10) सभी 132 के वी तथा 220 के वी कार्यों को पारेषण अनुज्ञापी द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पारेषण अनुज्ञापी को, ऐसे कार्यों के लिये आवेदक द्वारा जमा कराये गये प्राक्कलित कार्यप्रभारों की राशि के साथ पूर्व सूचना, पर्याप्त समय पूर्व वितरण अनुज्ञापी द्वारा दिया जाना आवश्यक है ताकि इन विनियमों में नियत समय के भीतर कार्य पूरा किया जा सके। 132 के वी/220 के वी उपस्टेशनों से निकलने वाले फीडर्स हेतु विवरण अनुज्ञापी ऐसे 132 के वी/220 के वी पर उचित मीटरिंग क्यूबिकल उपलब्ध करवायेगा। पारेषण अनुज्ञापी का उत्तरदायित्व फीडर के लाईन साईड आइसोलेटर तक सीमित रहेगा।

(11) भार स्वीकृति के पश्चात् एक माह के भीतर आवेदक को आगे दी गई सारिणी–1 के अनुसार अपेक्षित कार्यों की मात्रा तथा प्रभार के आधार पर कार्य प्रभार की आंकलित अपेक्षित राशि जमा करानी होगी :–

सारिणी—1 : कार्य प्रभार

| क्रम | विवरण | कार्य प्रभार |
|---|---|---|
| (ए) | 11 के वी संयोजन | |
| (1) | एच टी केबल्स, सी टी, पी टी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि सहित उपभोक्ता के छोर पर टर्मिनल | उपस्कर रु0 1.5 लाख |
| (2) | स्वतंत्र फीडर के लिये स्विच गियर, एच टी केबल्स, सी टी, पी टी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि सहित प्रेषण छोर पर टर्मिनल उपस्कर | रु0 4.00 लाख |
| (3) | लाईन लागत | |
| | ऊपरी लाईन लागत | रु0 40,000 प्रति 100 मीटर या उसका भाग |
| | भूमिगत केबलिंग लागत | रु0 1.5 लाख प्रति 100 मीटर या उसका भाग |
| (बी) | 33 के वी संयोजन | |
| (1) | प्रेषण छोर पर सर्किट ब्रेकर्स, आईसोलेटर्स, लाइटनिंग एरेस्टर्स सहित टर्मिनल उपस्कर तथा दोनों छोरों पर ई एच टी केबल्स, सी टी, पी टी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि | रु0 10.00 लाख |
| (2) | लाईन लागत | |
| | (ए) ऊपरी लाईन लागत | रु0 75,000 प्रति 100 मीटर या उसका भाग |
| | (बी) भूमिगत केबलिंग लागत | रु0 2.5 लाख प्रति 100 मीटर या उसका भाग |
| (सी) | 132 के वी संयोजन | |
| (1) | प्रेषण के छोर पर सर्किट ब्रेकर्स, आईसोलेटर्स, लाइटनिंग एरेस्टर्स सहित टर्मिनल उपस्कर तथा दोनों छोरों पर ई एच टी केबल्स, सी टी, पी टी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि | पारेषण अनुज्ञापी द्वारा तैयार प्राक्कलन के आधार पर |
| (2) | लाईन लागत | |
| | (ए) सिंगल सर्किट लाईन | |
| | (बी) डबल सर्किट लाईन | |
| (डी) | 220 के वी संयोजन | |
| (1) | प्रेषण के छोर पर सर्किट ब्रेकर्स, आईसोलेटर्स, लाइटनिंग एरेस्टर्स सहित टर्मिनल उपस्कर तथा दोनों छोरों पर ई एच टी केबल्स, सी टी, पी टी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि | पारेषण अनुज्ञापी द्वारा तैयार प्राक्कलन के आधार पर |
| (2) | लाईन लागत | |
| | (ए) सिंगल सर्किट लाईन | |
| | (बी) डबल सर्किट लाईन | |

(12) प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ से कम से कम तीन माह पूर्व वितरण अनुज्ञापी, यदि आवश्यक हो, आयोग के अनुमोदन हेतु समर्थक परिकलन व औचित्य के साथ सारिणी 1 के अनुसार प्रभारों के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। एक बार अनुमोदित प्रभार आयोग द्वारा संशोधित किये जाने तक मान्य रहेंगे।

5. वितरण अनुज्ञापी द्वारा आवेदन का प्रक्रमण तथा कार्य का निष्पादन :

(1) कार्य प्रभारों की प्राक्कलित राशि प्राप्त हो जाने पर वितरण अनुज्ञापी कार्यों का निष्पादन प्रारंभ करेगा।

(2) ऐसे मामलों में, जहां आवेदित परिक्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में नये उपस्टेशन/बे की कमीशनिंग आवश्यक नहीं है, वितरण अनुज्ञापी एचटी/ईएचटी कार्यों का संस्थापन आवेदक द्वारा राशि जमा किये जाने की तिथि से विभिन्न वोल्टेज स्तरों हेतु नीचे दिये गये समय के भीतर पूरा करेगा :–

| क्रम सं0 | विवरण | दिनों की संख्या |
|---|---|---|
| (i) | लाईन सहित 11 के वी कार्य | |
| | (ए) स्वतन्त्र फीडर की संलग्नता के बिना | 60 दिन |
| | (बी) स्वतन्त्र फीडर के साथ | 90 दिन |
| (ii) | लाईन सहित 33 के वी कार्य | 120 दिन |
| (iii) | लाईन सहित 132 के वी व अधिक के कार्य | 150 दिन |

(3) ऐसे मामलों में जहां आवेदित परिक्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु नये उपस्टेशन/बे की कमीशनिंग आवश्यक है वहां वितरण अनुज्ञापी अपनी लागत पर नये उप–स्टेशन/बे का कार्य प्रारंभ करेगा तथा विभिन्न उपस्टेशनों हेतु नीचे दिये गये अतिरिक्त समय के भीतर कार्य पूरा करेगा :

| क्रम सं0 | विवरण | दिनों की संख्या |
|---|---|---|
| (i) | नया 33/11 के वी उपस्टेशन | 180 दिन |
| (ii) | वर्तमान 33/11 के वी उपस्टेशन का आवर्धन | 120 दिन |
| (iii) | 33/11 के वी उपस्टेशन पर बे का विस्तार | 45 दिन |
| (iv) | 132 के वी तथा इससे ऊपर उपस्टेशन | 18 माह |
| (v) | 132 के वी तथा इससे ऊपर उपस्टेशन पर बे का विस्तार | 90 दिन |

(4) एच टी/ई एच टी कार्यों के पूरा होने के 5 दिनों के भीतर वितरण अनुज्ञापी विद्युत निरीक्षक को, आवश्यक निरीक्षण शुल्क के साथ, नियम 63 (1) के अनुसार संस्थापना का निरीक्षण करने की सूचना देगा। विद्युत निरीक्षक कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा या तो वितरण अनुज्ञापी के कार्यों के विद्युतीकरण हेतु अपना अनुमोदन प्रदान करेगा या वितरण अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण शुल्क जमा किये जाने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर उसको कमियों की सूचना देगा।

(5) आवेदक, नियमों के अनुसार अपने एच टी/ई एच टी कार्यों की संस्थापना भी पूरी करेगा। अपने कार्यों के पूरा हो जाने पर आवेदक, विद्युत निरीक्षक से आवश्यक निरीक्षण शुल्क के साथ नियम 63 (2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर अनुमोदन हेतु निवेदन करेगा। विद्युत निरीक्षक, शीघ्रतम, किन्तु निरीक्षण हेतु आवेदन की तिथि से अधिकतम पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदक के कार्यों का निरीक्षण करेगा। विद्युत निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर आवेदक, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा या आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इंगित अनंतिम तिथि, दोनों में जो बाद में हो, से कम से कम दो सप्ताह पूर्व विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन की स्वतः प्रमाणित प्रति के साथ संलग्नक 11 के अनुसार कार्य पूर्णता रिपोर्ट में अपने कार्यों की पूर्णता के संबंध में वितरण अनुज्ञापी को सूचित करेगा।

परन्तु, यदि आवेदक यह समझता है कि अपने आवेदन (उपरोक्त विनियम 4 (4) (सी)) के अनुसार प्रारंभ में इंगित ऊर्जाकरण की तिथि तक आपूर्ति नहीं ले पायेगा तो वह वितरण अनुज्ञापी को लिखित में इस तिथि से कम से कम दो माह पहले एक नई तिथि की सूचना दे सकता है जिस पर कि उसका आपूर्ति लेने का प्रस्ताव है जिसे आवेदक द्वारा इंगित अन्तिम तिथि माना जायेगा। तथापि, उपरोक्तानुसार ऊर्जाकरण की तिथि के विस्तार का विकल्प आवेदक द्वारा केवल एक बार ही उपयोग में लाया जायेगा।

(6) वितरण अनुज्ञापी, उपरोक्त उप–विनियम (5) में उल्लिखित विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन की प्राप्ति तथा कार्य पूर्णता रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में नियम 47 के अधीन अपेक्षानुसार आवेदक की संस्थापना का निरीक्षण करेगा। संस्थापना का परीक्षण नियम 48 में नियत किये गये अनुसार किया जायेगा तथा वितरण अनुज्ञापी का निरीक्षण अधिकारी, नियम 47 के अधीन अपेक्षानुसार संलग्नक 1.2 पर दिये गये प्रपत्र पर, प्राप्त परिणाम का अभिलेख रखेगा। निरीक्षण के समय आवेदक या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।

(7) निरीक्षण हो जाने पर वितरण अनुज्ञापी यह सत्यापित करेगा कि सभी एचटी तथा ईएचटी कार्य नियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुरूप किये गये हैं तथा परिक्षेत्र में संस्थापित सभी एचटी तथा ईएचटी उपस्कर सुसंगत बी आई एस के तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य समानक अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। वितरण अनुज्ञापी, परिक्षेत्र में लगाये गये एल टी कार्यों का भी निरीक्षण करेगा तथा यह सत्यापित करेगा कि एल टी वायरिंग भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई है। वितरण अनुज्ञापी विशेष रूप से नियम 61 (4) के अनुसार आवेदक के परिक्षेत्र में उसके द्वारा लगायी गई 'अर्थ प्रणाली' की प्रतिरोधकता की जांच करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में इसे अभिलिखित करेगा। वितरण अनुज्ञापी यह भी सत्यापित करेगा कि परिक्षेत्र में उचित आकार का अर्थ वायर लगाया गया है तथा परिक्षेत्र में संस्थापित विद्युत उपस्करों में सभी धातु भाग तथा थ्री पिन सॉकेट की थ्री पिन नियम 61 (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार स्थायी रूप से अर्थ से जोड़ी गई हैं। यदि वितरण अनुज्ञापी कोई त्रुटि पाता है तो संलग्नक 1.2 में दिये अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट में इसे अभिलिखित करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर उसी समय आवेदक या उसके प्रतिनिधि को इसकी सूचना देगा।

(8) आवेदक 30 दिनों के भीतर सभी त्रुटियां दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन लिखित में वितरण अनुज्ञापी को इस की सूचना देगा। यदि आवेदक इन त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है या इन त्रुटियों को दूर किये जाने की सूचना वितरण अनुज्ञापी को देने में विफल रहता है तो आवेदन व्यपगत हो जायेगा तथा आवेदक को नया आवेदन करना होगा।

(9) आवेदक से त्रुटियां दूर करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञापी ऐसी सूचना प्राप्ति से 5 दिनों के भीतर संस्थापना का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा तथा यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां विद्यमान पाई जाती हैं तो वितरण अनुज्ञापी उनका पुनः संलग्नक 1.2 में दिये प्रपत्र पर अभिलेखन करेगा तथा उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा। तब आवेदन व्यपगत हो जायेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन लिखित में आवेदक को इसकी सूचना दी जायेगी। यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी की इस कार्यवाही से व्यथित अनुभव करता है तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है जिसका अधिमत इस मामले में अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(10) यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है या यह पाया जाता है कि त्रुटियां दूर कर ली गई हैं तो वितरण अनुज्ञापी निरीक्षण की तिथि या वितरण अनुज्ञापी के कार्यों हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रदान अनुमोदन की तिथि जो बाद में हो, से 15 दिनों के भीतर आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि, 15 दिनों के भीतर जमा किये जाने के लिये, निम्नलिखित इंगित करते हुए मांग नोट जारी करेगा :

(ए) प्रारंभिक प्रतिभूति @ संविदाकृत भार का रु0 1000/के वी ए

(बी) कार्य प्रभारों का अतिरिक्त/वापसी, यदि कोई है,

(i) 33 के वी तक के संयोजनों हेतु—वास्तविक लाईन लम्बाई पर आधारित केवल लाईन लागत। वास्तविक लाईन लम्बाई हेतु लाईन लागत, उपरोक्त विनियम 4 (11) में दिये गये मानकों के अनुसार परिकलित की जायेगी।

(ii) 33 के वी से ऊपर के संयोजनों हेतु—लाईन तथा टर्मिनल उपस्कर हेतु वास्तविक व्यय पर आधारित।

(सी) उपरोक्त विनियम 4 (2) के अनुसार प्रभावित पंजीकरण तथा प्रक्रमण शुल्क घटा कर।

(11) मांग नोट में इंगित ऐसी धनराशि की प्राप्ति पर वितरण अनुज्ञापी, लिखित में आवेदक को 7 दिनों के भीतर आवेदक के कार्यों के ऊर्जाकरण की अंतिम तिथि सूचित करेगा। यह अंतिम तिथि ऊपर दी गई सुसंगत सीमाओं के योग से आगे की नहीं होगी। आवेदक के कार्यों के ऊर्जाकरण के समय आवेदक को संलग्नक 1.3 में दिये गये प्रारूप में एक करार करना होगा।

(12) उपरोक्त उपविनियम (4) एवं (5) में कार्यों हेतु विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के बिना किसी संयोजन का ऊर्जाकरण नहीं किया जायेगा।

(13) यदि वितरण अनुज्ञापी, ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में विफल रहता है तो वह व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु0 1000/–की दर से दंड हेतु उत्तरदायी होगा।

6. पंजीकरण तथा प्रक्रमण शुल्क, ऊपर सारिणी 1 में निर्धारित प्रभार, उपरोक्त विनियम 5 (10) के अनुसार वास्तविक लाईन लंबाई/वास्तविक व्यय पर आधारित अतिरिक्त लागत, यदि कोई है तथा प्रारंभिक प्रतिभूति के अलावा कोई प्रभार जैसे कि मीटर की लागत, सी टी, पी टी तथा अन्य टर्मिनल उपस्कर इत्यादि, नये संयोजन के आवेदक द्वारा देय नहीं होंगे।

7. आवेदन की वापसी/व्यपगत होना :

(1) यदि संयोजन के लिये आवेदन करने के पश्चात् कोई व्यक्ति अपना आवेदन वापस लेता है या आपूर्ति लेने से इन्कार करता है या उसका आवेदन व्यपगत हो जाता है तो पंजीकरण तथा प्रक्रमण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा तथा कार्य प्रभार हेतु आवेदक द्वारा जमा की गई राशि निम्नलिखित अनुसार वापस कर दी जायेगी :–

| | | |
|---|---|---|
| i) | यदि कार्य का निष्पादन उस समय तक वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है | पूर्ण राशि वापस की जायेगी। |
| ii) | जहां 50% से कम कार्य निष्पादित किया गया है | 50% राशि वापस की जायेगी। |
| iii) | जहां 50% से अधिक तथा 75% तक कार्य निष्पादित किया गया है | 25% राशि वापस की जायेगी। |
| iv) | जहां 75% से अधिक कार्य निष्पादित किया गया है | कुछ नहीं |

(2) आवेदन की वापसी/आवेदन के इन्कार पत्र की प्राप्ति/आवेदन के व्यपगत होने के 30 दिनों के भीतर अनुज्ञापी द्वारा धन वापसी की जायेगी। इसके पश्चात् बैंक दर पर ब्याज देय होगा।

8. आवेदक की ओर से आपूर्ति लेना प्रारम्भ करने में विलंब :

आवदेक द्वारा उपरोक्त विनियम 5 (11) के अनुसार वितरण अनुज्ञापी द्वारा सूचित ऊर्जाकरण की अंतिम तिथि से, संलग्न सहमति पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उपभोक्ता के रूप में वितरण अनुज्ञापी से विद्युत की आपूर्ति लेना प्रारंभ किया समझा जायेगा। यदि आवेदक इस तिथि से विद्युत की आपूर्ति लेने में विफल रहता है तो आवेदक विद्यमान शुल्क आदेश में दिये गये उपभोक्ता हेतु लागू दर अनुसूची के अनुसार स्थिर/मांग या कोई अन्य प्रभार के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

9. संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया :

(1) उपभोक्ता, वित्तवर्ष में एक बार किसी समय अपने संविदाकृत भार में या तो वृद्धि या कमी कर सकते हैं।

(2) इसके लिये उपभोक्ता को, संलग्नक–2 में दिये गये प्रपत्र में वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करना होगा जो कि वितरण अनुज्ञापी के उपखण्ड/खण्ड या किसी अन्य कार्यालय पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रपत्र को वितरण अनुज्ञापी की वेब साईट से डाउनलोड किया जा सकता है या इस की फोटो प्रति भी की जा सकती है।

(3) संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु विनियम 3 से 8 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार नये संयोजन प्रदान करने के लिये प्रक्रिया तथा शर्तें अपनाई जायेंगी 'सिवाय इसके कि आवेदन संलग्नक–1' के स्थान पर संलग्नक–2 में किया जायेगा तथा संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी करने में देरी हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किया जाने वाला जुर्माना रु0 1000/प्रतिदिन के स्थान पर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु0 500 देय होगा।

(4) इन विनियमों के विनियम 4 तथा 5 के अनुसार औपचारिकताओं की पूर्णता तथा प्रक्रियाओं की शर्तों के अधीन वितरण अनुज्ञापी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय लाईनों के अनुसार कार्यों को पूरा करेगा। तथापि, यदि भार में वृद्धि/कमी हेतु लाईन/उपस्टेशन कार्यों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है तो संविदाकृत भार 30 दिनों के भीतर बढ़ाया/घटाया जायेगा।

(5) भार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता वर्तमान भार हेतु पहले ही भुगतान की गई राशि के उचित समायोजन के पश्चात् बढ़ाये गये भार हेतु प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि वर्तमान उपस्कर/लाईनों में आवर्धन या बदलाव की आवश्यकता है तो उपरोक्त सारिणी–1 के अनुसार टर्मिनल उपस्कर व/या लाईनों हेतु कार्य प्रभारों का भुगतान करेगा।

(6) यदि उपभोक्ता द्वारा चाही गई भार में कमी से वर्तमान उपस्कर के बदलाव की आवश्यकता होती है तो उपभोक्ता उपरोक्त सारिणी–1 के अनुसार टर्मिनल उपस्कर हेतु कार्य प्रभारों का भुगतान करेगा तथा कम किये गये भार हेतु आवश्यक प्रतिभूति तथा पहले से जमा प्रतिभूति के मध्य का अंतर अगले तीन बिलिंग चक्रों के भीतर समायोजित किया जायेगा।

(7) यदि भार में वृद्धि/कमी हेतु एल टी से एच टी/ई एच टी या विपरीत क्रम से आपूर्ति प्रभार में परिवर्तन आवश्यक हों तो वृद्धि/कमी किये गये भार के स्वभाव के आधार पर सुसंगत विनियमों के उपबंध लागू होंगे।

10. संविदाकृत भार की वृद्धि या कमी/नये संयोजन हेतु प्रक्रिया तथा प्रभारों संबंधी सूचना :

(1) वितरण अनुज्ञापी (यूपीसीएल) अपने सभी कार्यालयों में तथा अपनी वेबसाईट पर 31 मार्च 2009 तक उन स्थानों का विवरण जहां उसकी ओर से नये संयोजन/संविदाकृत भार में वृद्धि या कमी हेतु आवेदन स्वीकार किये जाने हैं, नये संयोजन प्रदान करने, संविदाकृत भार में वृद्धि या कमी हेतु विस्तृत प्रक्रिया तथा ऐसे आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की संपूर्ण सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा। विनियम 5 (10) के अनुसार आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला पंजीकरण तथा प्रक्रमण शुल्क आवेदक द्वारा इसके पश्चात् जमा किये जाने वाला, इन विनियमों के विनियम 4 (11) में दी गई सारिणी के अनुसार कार्य प्रभार तथा नये/संशोधित भार में जारी किये जाने में विलंब हेतु उपभोक्ता को देय जुर्माना/दिन भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी (यू पी सी एल) उपरोक्त उप विनियम (1) में दिये स्थानों पर 31 मार्च 2009 तक पूरे विवरण यथा नाम, पता, व्यतिक्रम की राशि, विच्छेदन की तिथि इत्यादि के साथ बकायेदारों की सूची प्रदर्शित करेगा जिनके संयोजन या तो पूरी तरह से काट दिये गये हैं या जिनके विद्युत देय 3 बिलिंग चक्रों से अधिक 1 लाख रुपये से अधिक हेतु लंबित हैं। वितरण अनुज्ञापी बकायेदारों की सूची प्रत्येक माह अद्यतन करेगा।

(3) वितरण अनुज्ञापी, उन संयोजनों की संख्या के विवरण भी मासिक खण्ड वार रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा जिनका विनिर्दिष्ट अवधि में ऊर्जाकरण नहीं किया गया तथा ऐसे व्यतिक्रम के कारण प्रोद्भूत जुर्माना भी जमा करेगा।

(4) यदि इन विनियमों के अनुसार आवेदक के संयोजन का ऊर्जाकरण नहीं हुआ है तो वह पूर्ण विवरण जैसे कि आवेदन की तिथि, विद्युत अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण की तिथि इत्यादि, देते हुए आयोग से इसके बारे में शिकायत कर सकता है।

11. अपवाद :

(1) इन विनियमों में अभिव्यक्त या विवादित कुछ भी, अधिनियम के अधीन किसी शक्ति के प्रयोग या किसी मामले के निपटारे में आयोग को वर्जित नहीं करेगा, जिस के लिये कोई विनियम संरक्षित नहीं किये गये हैं तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों, कृत्यों से इस प्रकार निपट सकेगा जैसा वह उचित व सही समझे।

(2) कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां—

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या अन्यथा, आदेश द्वारा तथा ऐसे आदेशों से संभावित रूप से प्रभावित होने वालों को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों व कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों, ऐसे उपबंध बना सकेगा।

(3) शिथिलता हेतु शक्ति—

आयोग, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर, स्वयं के प्रस्ताव से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन करने पर इन विनियमों के किसी उपबंध में शिथिलता या परिवर्तन कर सकता है।

आयोग की आज्ञा से,

पंकज प्रकाश,

सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

संलग्नक–1

## प्रारूप एच–1 : नये एच टी/ई एच टी संयोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

(वितरण अनुज्ञापी का नाम)

| |
|---|
| विनियम 4 (4) (बी) (ii) के अनुसार आवेदक (स्वामी/अधिभोगी) आवेदन का अधिकृत व्यक्ति यथा निदेशक स्वामी, इत्यादि का पासपोर्ट आकार का स्वयं प्रमाणित फोटो चिपकायें |

वितरण अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये

आवेदन संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | उपभोक्ता संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

आवेदक द्वारा भरा जाये :

(ए) सामान्य विवरण

1) व्यक्ति/संगठन का नाम: जिसके नाम पर संयोजन अपेक्षित है:

व्यक्ति के लिये

श्री/कु0/श्रीमती ........................ ........................ ........................

प्रथम नाम मध्य नाम कुल नाम

संगठन/अन्य के लिये

कम्पनी का नाम ..........................................................................................

स्वामी/निदेशक/मालिक का नाम (सम्पर्क के विवरण के साथ)

श्री/कु0/श्रीमती ........................ ........................ ........................

प्रथम नाम मध्य नाम कुल नाम

पता

टेलीफोन नं0

फैक्स नं0

ईमेल आई डी

मोबाईल नं0

2) पिता/पति/संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम ..........................................

श्री/कु0/श्रीमती

........................ ........................ ........................

प्रथम नाम मध्य नाम कुल नाम

3) स्थल का पूरा पता (जहां संयोजन अपेक्षित/प्रदान किया गया है):

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

टेलीफोन नं0 फैक्स नं0

ईमेल आई डी मोबाईल नं0

4) संयोजन तथा उससे आपूर्ति के संबंध में सम्पर्क व्यक्ति:

नाम ........................ पदनाम ........................

टेलीफोन नं0 ........................ फैक्स नं0 ........................

ईमेल आई डी ........................ मोबाईल नं0 ........................

5) बिलिंग का पता (जहां बिल भेजा जाना है):

☐ वही जैसा ऊपर क्रम सं० 3 में दिया है

☐ भिन्न ..................................................

..................................................

..................................................

टेलीफोन नं० .................................................. फैक्स नं० ..................................................

6) पी ए एन/जी आई आर/पहचान संख्या (सरकार द्वारा अधिसूचित किये अनुसार) उसकी प्रति के साथ ..................................................

7) जन्मतिथि/निगमीकरण की तिथि ..................................................

(बी) स्थायी कनैक्शन हेतु विवरण

8) संयोजन की श्रेणी (उद्देश्य):

☐ घरेलू ☐ अघरेलू ☐ सार्वजनिक लैंप

☐ निजी ट्यूब वैल ☐ सरकारी सिंचाई प्रणाली ☐ सार्वजनिक जल कार्य

☐ उद्योग ☐ मिश्रित भार ☐ रेलवे ट्रैक्शन

☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें ..............................

9) घरेलू भार के लिये:

(ए) प्रकार

☐ व्यक्तिगत उपभोक्ता ☐ उपभोक्ता के समूह हेतु एकल बिंदु थोक आपूर्ति

(बी) एकल बिंदु थोक आपूर्ति के मामले में

☐ सहकारी सामूहिक आवास समिति ☐ अपने स्टाफ हेतु नियोक्ता

☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें.............................. ..................................................

10) अघरेलू भार के लिये:

(ए) प्रकार

☐ शैक्षिक संस्थान ☐ अस्पताल ☐ धमार्थ संस्थाएं

☐ होटल/जलपान गृह ☐ गैस्ट हाउस/लॉज ☐ एम्यूजमेन्ट पार्क

☐ शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल ☐ धार्मिक स्थान ☐ कार्यालय

☐ सिनेमा हाल/मल्टीप्लैक्स ☐ अन्य विनिर्दिष्ट करें ..............................

(बी) अवस्थिति

☐ हिमाच्छादित क्षेत्र ☐ अन्य

11) उद्योग भार हेतु:

(ए) उद्योग का प्रकार

☐ कागज ☐ शक्कर ☐ रसायन

☐ शीशा ☐ वस्त्र ☐ चावल मिल

☐ स्टील यूनिट ☐ वाहन ☐ विद्युत/इलैक्ट्रॉनिक रसायन

☐ भूसा/गूदा/गत्ता ☐ खाद्य प्रसंस्करण ☐ औषधि/दवा

☐ स्टोन क्रशर ☐ सीमेन्ट ☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें

(बी) प्रक्रिया का प्रकार

☐ निरन्तर ☐ अनिरन्तर

यदि निरंतर है तो निरंतर आपूर्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम आवश्यक/संरक्षित भार इंगित करें (केवीए)

(सी) पारी संख्या

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

12) मिश्रित भार हेतु:

(ए) घरेलू भार का प्रतिशत

(बी) अघरेलू भार का प्रतिशत

(सी) संलग्न दस्तावेजों की सूची :

1. ..................................................

2. ..................................................

3. ..................................................

4. ..................................................

5. ..................................................

6. ..................................................

7. ..................................................

8. ..................................................

9. ..................................................

(डी) भुगतान विवरण :

(24) भुगतान का प्रकार

☐ डिमांड ड्राफ्ट ☐ चैक

बैंक ..................................

डी डी / चैक सं० ..................................

दिनांक ..................................

राशि रु० .............................. (शब्दों में रु० ..............................................)

दिनांक ................/........./...............

स्थान ......................................

आवेदक के हस्ताक्षर ..................................

नाम ..................................

पदनाम ..................................

कंपनी / संगठन की मुहर

## पावती

नीचे दिये गये विवरण अनुसार विद्युत हेतु एच टी/ई एच टी नये संयोजन के लिये आवेदन प्राप्त किया :

1) आवेदक का नाम ..............................

2) पता जहां संयोजन अपेक्षित है ..............................
..............................
..............................
..............................

3) आवेदित भार .............................. (के वी ए)

रबर स्टैम्प

वितरण अनुज्ञापी का प्रतिनिधि
नाम एवं पदनाम।

संलग्नक—1.1

## प्रारूप एच 1.1 कार्यपूर्णता रिपोर्ट

1) आवेदक का नाम व पता ....................................................................................

2) संस्थापना का नाम व पता ....................................................................................

3) आपूर्ति की वोल्टेज ....................................................................................

4) उद्देश्य जिस के लिये उपयोग किया गया ....................................................................................

5) वायरिंग का प्रकार ....................................................................................

6) संस्थापना के विवरण :

| I मोटर्स | मेक | क्रम सं0 | के डब्ल्यू | फेज | वोल्टेज | आर पी एम | सेवित प्रक्रिया व/या प्रत्येक मोटर से संयोजित मशीन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

II अन्य उपस्कर (संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जायें)

7) कुल संयोजित भार ..............................के डब्ल्यू(......................केवीए 0.85 पी एफ पर)

8) अधिकतम करेंट, एएमपी में (संयोजित भार के आधार पर) ....................................................................................

9) अर्थ पर लीकेज, ए एम पी में ....................................................................................

10. आवेदक के संस्थापन पर सुरक्षा–आवश्यकताओं की पूर्णता का विवरण :

| क्र0 सं0 | नियम सं0 | विवरण | आवेदक का उत्तर व हस्ताक्षर | वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ए–सामान्य सुरक्षा पूर्वोपाय : | | | | |
| 1 | 7 (2) | क्या निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करा दिया गया है? टी.सी. संख्या, दिनांक व राषि उद्धृत करें। | | |
| 2 | 9 | क्या उच्च वोल्टेज परीक्षण, इन्सुलेशन परीक्षण तथा अर्थ परीक्षण कर लिये गये हैं? | | |
| | — | उपरोक्त परीक्षणों के परिणाम विनिर्दिष्ट करें। उच्च वोल्टेज परीक्षण (आवेदित वोल्टेज विनिर्दिष्ट करें) परिणाम–सहन क्रिया/विफल इन्सुलेशन परिणाम (आवेदित वोल्टेज विनिर्दिष्ट करें) Φ 1 एवं अर्थ के मध्य इन्सुलेशन Φ 2 एवं अर्थ के मध्य इन्सुलेशन Φ 3 एवं अर्थ के मध्य इन्सुलेशन अर्थ प्रतिरोधकता परीक्षण अर्थ प्रतिरोध | | |
| 3 | 29 | क्या विद्युत आपूर्ति लाइनें उपकरण शक्ति तथा आकार में पर्याप्त हैं तथा क्या वे पर्याप्त यान्त्रिक शक्ति की हैं ? | | |
| 4 | 32(1) | क्या आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर लाइव कन्डक्टर से अर्थ न्यूट्रल कन्डक्टर का भेद करने के लिए स्थायी स्वभाव के संकेतक प्रदान किए गए हैं ? | | |
| 5 | 32(2) | क्या आपूर्ति को एकाकी करने के लिए अर्थ्ड या अर्थ नैचुरल तथा लाइव कन्डक्टर पर एक साथ परिचालन हेतु लिंक्ड स्विच से अन्यथा कोई कट आउट, लिंक या स्विच, अर्थ्ड न्यूट्रल कन्डक्टर में लगाया गया है? | | |
| 6 | 34 | जहां बेयर कंडक्टर्स का उपयोग किया गया है वहां– (ए) क्या वे पहुँच से बाहर है ? (बी) क्या उन्हें मृत करने के लिए स्विच प्रदान किए गए हैं? (सी) क्या अन्य उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं ? | | |
| 7 | 35 | क्या मोटर्स, जेनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स की सभी सहज दृश्य अवस्थितियों पर या उपकरण रखे जाने वाले अहातों के प्रवेश द्वार पर तथा एच टी लाइन सपोर्ट पर, "Danger"-- "सावधान" शब्द तथा लाल रंग से वोल्टेज 12"x9" आकार की सफेद रंग की प्लेट पर सावधानी सूचना लगाई गई है। | | |

| क्र० सं० | नियम सं० | विवरण | आवेदक का उत्तर व हस्ताक्षर | वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 41 | क्या विभिन्न वोल्टेज पर परिचालन हेतु आशयित सर्किट्स या उपकरणों को विशिष्ट निशान प्रदान किया है? | | |
| 9 | 42 | क्या आशयित वोल्टेज से आगे उपकरण की एक्सीडेन्टल चार्जिंग को टालने के लिऐ उपयुक्त पूर्वोपाय किए गए हैं? | | |
| 10 | 43(1) | क्या आग बुझाने का विद्युतीय यंत्र तथा बाल्टियाँ उपलब्ध करायी गई हैं? | | |
| 11 | 43(2) | क्या प्रथमोपचार बक्से सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सामान के साथ उपलब्ध कराये गये हैं? प्रथमोचार हेतु योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नाम दें। | | |
| 12 | 44(1) | क्या शॉक रेस्टोरेशन चार्ट्स उपलब्ध कराये गये हैं? | | |
| 13 | 44(3) | उन अधिकृत व्यक्तियों का नाम दें जो उपरोक्त 44(1) में दिए गये अनुदेशों को लागू करने हेतु अवगत हैं तथा सक्षम हैं। | | |
| 14 | 45 | क्या सक्षमता का प्रमाण–पत्र प्राप्त व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा मान्य या जारी अनुमति–पत्र प्राप्त किसी व्यक्ति के अधीन एक अनुज्ञप्तिधारी विद्युतीय ठेकेदार द्वारा विद्युत कार्य कराया गया है? | | |
| बी–ऊर्जा की आपूर्ति तथा उपयोग की संबंधित सामान्य शर्तें : | | | | |
| 15 | 50(1)(ए) | क्या आपूर्ति को पूर्णतः एकाकी करने के लिए प्रारंभ के बिंदु के पश्चात् किंतु समीप करेंट ले जाने व तोड़ने के लिए आवश्यक क्षमता के लिंक स्विच व सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराये गये हैं? | | |
| 16 | 50(1)(बी) | क्या प्राइमरी साईड पर लिंक्ड स्विच पूर्ण भार करेंट ले जाने तथा प्रवर्तक के केवल मैनेटाईज्ड करेंट को तोड़ने हेतु उपयुक्त है? इस शर्त के साथ कि 1000 केवी क्षमता तथा इससे अधिक क्षमता वाले प्रवर्तकों हेतु एक सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराया जायेगा। | | |
| 17 | 50(1)(सी) | क्या प्रत्येक भिन्न सर्किट एक उपयुक्त कट आउट या सर्किट ब्रेकर के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा के सापेक्ष संरक्षित किया गया है? | | |
| 18 | 50(1)(डी) | क्या एक विशिष्ट यंत्र के परिचालन हेतु लगायी गयी प्रत्येक मोटर या मोटर्स के समूह या अन्य उपकरणों की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त लिंक्ड स्विच या सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराये गये हैं? | | |
| 19 | 50(1)(एफ) | क्या यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किये गये हैं कि कोई भी जीवित भाग इस प्रकार खुले न छोड़े जायें कि उनसे खतरा उत्पन्न हो। | | |

| क्र0 सं0 | नियम सं0 | विवरण | आवेदक का उत्तर व हस्ताक्षर | वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 50(1)(ए) | क्या सभी कंडक्टर्स (ओवर हैड लाइनों के अलावा) यांत्रिक रूप से ऐसे सुदृढ़ धातु आवरण में पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं जो कि विद्युतीय तथा यांत्रिक रूप से निरंतर हैं तथा यांत्रिक हानि के सापेक्ष पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, यदि असंरक्षित हैं तो क्या वे केवल अधिकृत व्यक्तियों की पहुँच के भीतर हैं या हानि से बचाव के लिए निरीक्षक की संतुष्टि के साथ संस्थापित तथा संरक्षित हैं? | | |
| 21 | 50(1)(बी) | क्या संस्थापन के सभी समर्थक या सहायक मैटल कार्य आवरण अर्थ से जुड़े हैं? | | |
| 22 | 50(1)(सी) | क्या मेनस्विच बोर्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित पूर्वोपाय किए गए हैं;<br>(i) क्या मेन स्विच बोर्ड के समक्ष कम से कम 3 फीट चौड़ा स्पष्ट स्थान उपलब्ध कराया गया है?<br>(ii) क्या मेन स्विच बोर्ड के पीछे कोरे संयोजन है? यदि हां तो क्या पीछे का स्थान 9 इंच से कम या 30 इंच से अधिक चौड़ाई का है?<br>(iii) क्या स्विच बोर्ड के दोनों सिरों से 6 फीट स्पष्ट ऊँचाई का मार्ग उपलब्ध कराया गया है; क्या स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 30 इंच चौड़ाई से अधिक का है? | | |
| सी--उच्च तथा अति उच्च वोल्टेजेस हेतु विद्युत आपूर्ति लाइनें, प्रणाली तथा उपकरण | | | | |
| 23 | 61(1)(ए) तथा 67(1) | क्या थ्री फेज फोर वायर प्रणाली के न्यूट्रल कन्डक्टर उपस्टेशन पर अर्थ के साथ दो अलग व भिन्न संयोजनों के साथ जोड़े गए हैं? | | |
| 24 | 61(2) | क्या सभी प्रवर्तकों तथा उपकरणों के धातु भाग (जो कन्डक्टर्स के रूप में आशयित न हों) तथा प्रत्येक स्थित मोटर, प्रवर्तक के फ्रेम दो अलग अलग तथा भिन्न संयोजनों के साथ अर्थ से जोड़े गए हैं? | | |
| 25 | 64(1) (ए) | क्या सभी कन्डक्टर्स तथा उपकरण अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य की पहुँच से बाहर हैं तथा क्या उक्त उपकरण तथा कन्डक्टर्स से सम्बन्धित सभी परिचालन केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं? | | |
| 26 | 64(1) (बी) | क्या उपभोक्ता ने वितरण अनुज्ञापी के उच्च वोल्टेज उपकरण तथा मीटरिंग के उपकरण रखने के लिए एक अलग भवन तथा ताला लगा हुआ मौसमसह तथा अग्निसह अहाता उपलब्ध कराया है या यदि यह अव्यवहारिक है तो क्या उपभोक्ता ने अपने उपकरण आपूर्तिकर्ता के उपकरणों से पृथक कर लिए हैं? | | |

| क्रम सं0 | नियम सं0 | विवरण | आवेदक का उत्तर व हस्ताक्षर | वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 64(2) (ए) | क्या विद्युतीय उपकरणों के सुरक्षित परिचालन एवं रखरखाव हेतु सभी अनुमतियां बीआईएस के अनुसार उपलब्ध करा दी गयी हैं? | | |
| 28 | 64(2) (बी) | क्या एच.बी. मोटर्स की वाईडिंग या अन्य उपकरण, जहां वे आसान पहुंच के भीतर हों, वहां उनको खतरे से बचाने के लिए उपयुक्त रूप से संरक्षित किया गया है। | | |
| 29 | 64(2) (सी) | क्या एच.बी. सर्किट के साथ संपर्क या इस से लीकेज द्वारा सर्किट के सामान्य वोल्टेज से अधिक चार्ज हो जाने के कारण होने वाले खतरे के प्रति सुरक्षा या निम्न वोल्टेज पर सर्किट के एक बिंदु को अर्थ से जोड़ कर उपयुक्त पूर्वोपाय कर लिए गये हैं? | | |
| 30 | 64(2) (ई)(ii) | जहां एक चैंबर में स्विच गियर्स संस्थापित किये गये हैं तथा प्रवर्तकों में 9000 लीटर से अधिक तेल उपयोग में लाया जाता क्या वहां तेल के सोख्ता गढ्ढे उपलब्ध कराये गये हैं?<br>क्या एक चैंबर में उपयोग किये गये लीक हुए या निकल गये तेल को नालियों द्वारा बहा देने के लिये प्रावधान किये गये हैं?<br>क्या आग बुझाने के लिये प्रावधान किया गया है?<br>क्या उप स्टेशन या स्विच स्टेशन में अतिरिक्त तेल का भंडारण किया गया है? | | |
| 31 | 64(2) (जी) | क्या केबल्स इत्यादि रखे जाने वाले उप स्टेशनों इत्यादि के भीतर केबल खाइयों को रेत तथा कंकड़ इत्यादि से भरा गया है या आग न पकड़ने वाले स्लैब से पूरी तरह ढक दिया गया है? | | |
| 32 | 64(2) (एच) | जहाँ सफाई या अन्य उद्देश्य हेतु समस्त संस्थापन को विच्छेदित करना संभव नहीं है, क्या वहाँ कंडक्टर्स तथा उपकरण इस प्रकार व्यवस्थित किये गये हैं कि बिना किसी खतरे के किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा मृत अनुभाग में कार्य करने हेतु उन्हें मृत किया जा सके? | | |
| 33 | 64(3) | क्या ईएचटी उपकरण आकाशीय बिजली तथा वोल्टेज के ऊपर स्विचिंग के प्रति संरक्षित किये गये हैं? | | |
| 34 | 65(2) | क्या एचटी विद्युत आपूर्ति लाईनों या उपकरणों का इन्सुलेशन निम्नलिखित परीक्षणों को सहन कर पाया है :–<br>(ए) यदि सामान्य कार्यरत वोल्टेज 1000 वोल्ट्स से अधिक न हो तो 2000 वोल्ट्स की परीक्षण वोल्टेज। | | |

| क्र0 सं0 | नियम सं0 | विवरण | आवेदक का उत्तर व हस्ताक्षर | वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | (बी) यदि सामान्य वोल्टेज 1000 वोल्ट्स से अधिक हो किन्तु 11000 वोल्ट्स से अधिक न हो तो सामान्य से दो गुनी परीक्षण वोल्टेज। | | |
| | | (सी) यदि सामान्य कार्यरत वोल्टेज 11000 वोल्ट्स से अधिक होती है तो सामान्य कार्यरत वोल्टेज में 10000 वोल्ट्स जोड़कर या 22000 वोल्ट्स जो भी अधिक हो, की परीक्षण वोल्टेज। | | |
| 35 | 65(3) | यदि उपरोक्त परीक्षण, विद्युत आपूर्ति लाइनों तथा उपकरणों को उनके स्थान पर संस्थापित करने से पहले किये गये हैं तो क्या ये परीक्षण उनके संस्थापन के बाद भी किये गये हैं, तथा यदि यह अव्यवहारिक है तो क्या इन्सुलेशन न्यूनतम एक मिनट की अवधि के लिये कन्डक्टर्स के मध्य तथा साथ ही कन्डक्टर्स व अर्थ के मध्य न्यूनतम 1000 वोल्ट्स का दबाव सह पाया है? | | |
| 36 | 65(4) | क्या ऊपर निर्धारित परीक्षण, परिवर्तन व मरम्मत के पश्चात् विद्युत आपूर्ति लाइनों व उपकरणों पर लागू किया गया है? | | |
| 37 | 65(5) | क्या उपरोक्त परीक्षणों के परिणाम अभिलिखित किये गये हैं? | | |
| 38 | 65(6) | यदि उपरोक्त परीक्षण नहीं किये गये हैं तो क्या निर्माता द्वारा प्रमाणित परीक्षण की एक प्रति प्रदान की गई है? कृपया सन्दर्भ दें तथा एक प्रति संलग्न करें। | | |
| 39 | 66(1) | क्या धातु के आवरण वाली विद्युत आपूर्ति लाइनों हेतु निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है :— | | |
| | | (ए) क्या विद्युतीय रूप से निरन्तर तथा कुशलतापूर्वक अर्थ किए गए धातु आवरण में कन्डक्टर्स को बंद किया गया है? | | |
| | | (बी) क्या किसी बिन्दु पर एक कन्डक्टर तथा धातु आवरण के मध्य इन्सुलेशन के विफल हो जाने की स्थिति में सर्किट का अवरोध ऐसा है कि आपूर्ति के प्रारम्भ पर पूर्ण वोल्टेज होने पर ऐसी विफलता के परिणाम स्वरूप ऐसा करेन्ट अपने मूल्य के दुगने से कम नहीं है जिसके लिये एक उपयुक्त विभेदक फॉल्ट करेंट रिले परिचालित करने के लिये एक पर्याप्त विच्छिन्नता क्षमता का कटआउट या उपयुक्त अतिरिक्त भार संरक्षण युक्ति नियत की गई है? | | |
| 40 | 68(1) (ए) एवं (सी) | क्या उप स्टेशन भूमिगत निर्मित है? यदि ऐसा है तो क्या नियंत्रक स्विच गियर्स तथा कटआउट इत्यादि भूमि के ऊपर अलग—अलग पात्र में स्थित हैं? | | |

| क्र0 सं0 | नियम सं0 | विवरण | आवेदक का उत्तर व हस्ताक्षर | वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 68(1) (बी) | क्या एक बाहरी कुर्सीनुमा उप स्टेशन में संस्थापित विद्युत आपूर्ति लाईनों तथा उपकरणों पर पहुंच को रोकने के लिये एक 1.8 मीटर ऊंची मजबूत बाड़ लगाई गई है? | | |
| 42 | 69 | क्या खंबेनुमा उप स्टेशन पर किसी व्यक्ति के खड़े होने के लिए बनाये गये प्लेटफार्म के चारों ओर पर्याप्त जंगला लगाया गया है? यदि जंगला व प्लेटफार्म धातु का है तो क्या उसे भली भांति अर्थ किया गया है? | | |
| 43 | 70 | यदि लोड पावर फैक्टर में सुधार हेतु स्टैटिक कैपेसिटर्स संस्थापित किये गये हैं तो क्या आपूर्ति के टूटने पर प्रत्येक स्टैटिक कंडेन्सर के तुरंत व स्वतः डिस्चार्ज हेतु उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं? | | |
| 44 | | अन्य टिप्पणियां | | |

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित, वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत सभी शर्तें तथा विद्युत अधिनियम, 2003 व भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956, विशेष रूप से इसके नियम 51 का सही रूप से अनुपालन किया गया है तथा मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता .................................................. एम्पियर से अधिक नहीं है तथा भार में कोई भी वृद्धि, इस सम्बन्ध में नियमों/विनियमों के अनुसार उचित अधिसूचना व अनुमति के बिना नहीं की जायेगी।

दिनांक : ............................ (आवेदक के हस्ताक्षर)

संलग्नक 1.2

## प्रारूप एच–1.2 : निरीक्षण रिपोर्ट

**[आई0ई0 नियम, 1956 के नियम 47, 48, 61(4) का संदर्भ लें]**

**(वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि, जो कि 11 के.वी. हेतु उप–खण्ड अधिकारी/सहायक इन्जीनियर तथा 33 के.वी. व उस से ऊपर हेतु अधिशासी अभियन्ता से नीचे के पद का न हो, द्वारा भरा जाये)**

1. मैं (नाम)................................................., (पदनाम) ..................................................ने आवेदक के परिक्षेत्र का निरीक्षण किया है तथा पाया कि :

   1. नये संयोजन हेतु कार्यपूर्णता रिपोर्ट सही है

   2. नये संयोजन हेतु कार्यपूर्णता रिपोर्ट में आवेदक द्वारा दिये गये निम्नलिखित विवरण सही हैं :–

| विवरण सं0 | नियम के अधीन | विवरण सं0 | नियम के अधीन |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. मैंने इन्सुलेशन प्रतिरोधक परीक्षण किये हैं तथा उसके परिणाम निम्नलिखित हैं :–

(ए) निम्नलिखित की इन्सुलेशन प्रतिरोधकता का परिणाम :

(i) एच.टी. व ई.एच.टी. इन्स्टॉलेशन (न्यूनतम एक मिनट की अवधि हेतु प्रत्येक लाईव कन्डक्टर तथा अर्थ के मध्य 2.5 के.वी. डीसी का दबाव डाल कर नापने पर) :

| के मध्य | फेज–1 व अर्थ | फेज–2 व अर्थ | फेज–3 व अर्थ |
|---|---|---|---|

(बी) इन्सुलेशन प्रतिरोधकता अनुमन्य सीमा से ऊपर/नीचे पाई गई :

(ii) एल0टी0 संस्थापन (एक मिनट की अवधि के लिये प्रत्येक लाईव कन्डक्टर तथा अर्थ के मध्य 50 वी.डी.सी. का दबाव डाल कर नापने पर) :

| के मध्य | फेज–1 व अर्थ | फेज–2 व अर्थ | फेज–3 व अर्थ |
|---|---|---|---|

(सी) इन्सुलेशन प्रतिरोधकता अनुमन्य सीमा से ऊपर/नीचे पाई गई।

3. मैंने नियम 61(4) के अधीन अपेक्षानुसार, आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गई अर्थ प्रणाली हेतु प्रतिरोधकता परीक्षण किया है तथा अर्थ प्रतिरोधकता ................. ओम्स पाई गई जो कि अनुमन्य सीमा से/के भीतर/ऊपर है।

आगे प्रमाणित किया जाना है कि आई0ई0 नियम, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षानुसार, वितरण अनुज्ञापी द्वारा एक अर्थ–टर्मिनल उपलब्ध कराया गया है।

आपकी विद्युत संस्थापना में निम्नलिखित अतिरिक्त कमियां पाई गई हैं। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त कमियों (ऊपर पैरा 1 में बताये गये कार्यपूर्णता रिपोर्ट में आपके द्वारा दिये गये गलत विवरण सहित) को 30 दिन के भीतर अर्थात ...................... तक दूर करें तथा वितरण अनुज्ञापी को सूचित करें अन्यथा नये संयोजन हेतु आप का निवेदन व्यपगत हो जायेगा :–

1– ..........................................................................................................................................

2– ..........................................................................................................................................

3– ..........................................................................................................................................

4– ..........................................................................................................................................

दिनांक : ...................... वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

वितरण अनुज्ञापी द्वारा परिक्षेत्र का परीक्षण मेरी उपस्थिति में किया गया है तथा

* मैं परीक्षण से संतुष्ट हूँ।

* मैं परीक्षण से संतुष्ट नहीं हूँ तथा विद्युत निरीक्षक के पास अपील करूंगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वितरण अनुज्ञापी ने परिक्षेत्र में आई.ई. नियम, 1956 के नियम 33 के अनुसार एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया* / नहीं कराया* है।

दिनांक : ...................... आवेदक के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें

संलग्नक 1.3

## प्रारूप एच–1.3 : आपूर्ति सहमति पत्र

(रु0 50 के स्टाम्प पत्र पर टाईप किया जाये)

यह सहमति पत्र आज ...................................... के माह ........................ 20 ........ (वर्ष) को ........................ मध्य .......

(वितरण अनुज्ञापी का नाम) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, जिसका ........................ पर रजिस्टर्ड कार्यालय है, जिसको उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत ऊर्जा के वितरण तथा खुदरा आपूर्ति के कार्य हेतु लाइसेन्स दिया गया है (इसके आगे ''वितरण अनुज्ञापी'' के रूप में संदर्भित, इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित हैं) एक पक्ष के तथा

श्री/कु0/श्रीमती ...................................... आवेदक/मै0 ...................................... भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी/एकमात्र स्वामी/भागीदारी फर्म या कोई अन्य स्थापना जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय ........................ पर है, हेतु तथा की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (इसके पश्चात् उपभोक्ता के रूप में संदर्भित, इस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी तथा अनुमति प्राप्त समनुदेशिती सम्मिलित हैं) तथा सामूहिक रूप से ''दोनों पक्ष'' के रूप में संदर्भित हैं।

अतः उपभोक्ता ने अपने आवेदन/अन्य प्रपत्रों/रिपोर्ट्स में उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार ...................................... (उद्देश्य) हेतु ........................ ........................ पर (पूरा पता) केवल अपने उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति प्रदान करने के लिये निवेदन किया है तथा वितरण अनुज्ञापी, लागू नियमों के साथ अनुपालन सहित इसमें नियत शर्तों एवं निबंधनों पर ऐसी आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सहमत है।

अतः सहमति पत्र में नियत आपसी शर्तों तथा वचनों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के मध्य एतद्द्वारा निम्नलिखित सहमति की जाती है :—

1. परिभाषाएं :

इस सहमति पत्र में जब तक कि कुछ विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो निम्नलिखित शब्दों व अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः निम्नलिखित होगा:—

ए) ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत होगा;

बी) ''लागू कानून'' से वे केन्द्रीय, राजकीय या स्थानीय कानून अभिप्रेत होंगे जो पक्षों या इस सहमति–पत्र में परिकल्पित संव्यवहार को शासित करते हैं तथा उन पर लागू होते हैं। इसमें विद्युत अधिनियम, 2003, भारतीय विद्युत नियम, 1956 तथा उपरोक्त कानूनों के विनियम तथा वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियम सम्मिलित होंगे किन्तु उन तक सीमित नहीं होंगे;

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर | उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

सी) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) अभिप्रेत होगा।

डी) ''संयोजित भार'' से उपभोक्ता के परिक्षेत्र पर सुवाह्य उपकरणों सहित वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से उचित रूप से जुड़े तथा तार लगे उपभोक्ता उपकरणों की निर्माता की रेटिंग का योग अभिप्रेत है। इसमें स्पयेर प्लग, सौकेट्स, अग्निशमन हेतु विशेष रूप से संस्थापित भार सम्मिलित नहीं होगा। पानी तथा कमरा गरम करने या कमरा ठंडा करने के उपकरण का भार, दोनों में से जो अधिक हो, लिया जायेगा।

संयोजित भार, प्रत्यक्ष चोरी या ऊर्जा के बेईमानी से दोहन या ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग के मामले में केवल निर्धारण के उद्देश्य से उपयोग में लाया जायेगा।

ई) ''संविदाकृत भार'' से कीवीए (किलो वोल्ट एम्पीयर) में भार अभिप्रेत है, जिसके लिए वितरण अनुज्ञापी, शासित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन समय–समय पर आपूर्ति हेतु सहमत है।

एफ) ''वितरण अनुज्ञापी'' से, आपूर्ति की क्षेत्र में उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली के परिचालन एवं रखरखाव हेतु अधिकृत ऐसा अनुज्ञापी अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा लाइसेन्स दिया गया है।

जी) ''शुल्क'' से आयोग द्वारा स्वीकृत तथा लागू इसके उत्तरवर्ती संशोधन या आशोधन सहित, शुल्क अभिप्रेत है।

एच) ''विनियमों'' से राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता तथा विद्युत आपूर्ति संहिता जो सम्मिलित हैं किन्तु इस तक सीमित नहीं है ऐसे लागू कानून के अनुरूप आपूर्ति को शासित व/या विनियमित करने वाले, आयोग सहित सक्षम विनियामक, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा जारी या संशोधित अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधान, नियम या अन्य समान निर्देश अभिप्रेत हैं।

आई) ''नियमों'' से, भारतीय विद्युत नियम, 1956 जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा अधिक्रान्त नहीं है, अभिप्रेत है।

इसके पश्चात् कुछ समावेशित किये जाने पर भी यह सहमति पत्र विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा आयोग अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा/या आयोग के विनियमों के अनुसार शासित होगा, उपयोग किये किसी शब्द या अभिव्यक्ति जो इस सहमति पत्र में जब तक अन्यथा परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 या उसके अधीन निर्मित विनियमों में दिये अनुसार होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर — उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

2. संविदाकृत भार :

इसके पश्चात् समावेशित उपबंधों के अधीन तथा इस सहमति पत्र के जारी रहने की अवधि में .................... ................................................ के उद्देश्य से उच्च टैंशन/अति उच्च टैंशन पर भार हेतु उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित ऐसी सभी ऊर्जा की आपूर्ति वितरण अनुज्ञापी द्वारा की जायेगी तथा उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञापी से ली जायेगी, जिसकी उपभोक्ता .............................................................................. केवीए पर पुष्टि करता है (इसके पश्चात 'संविदाकृत भार' रूप में संदर्भित)

3. आपूर्ति की प्रणाली :

इस सहमति पत्र के अधीन आपूर्ति के उद्देश्य हेतु आपूर्ति की प्रणाली 11000 वोल्ट्स या इससे अधिक की वोल्टेज तथा 50 चक्र प्रति सेकंड की बारम्बरता पर थ्री फेज़ आल्टरनेटिंग करेंट होगी। उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारंभिक बिन्दु पर आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी/दोलन तथा वोल्टेज, तथापि, उस उतार चढ़ाव के अधीन होगी जो कि सामान्य रूप से होते हैं तथा जो विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में अनुषांगिक है, किन्तु ऐसे उतार चढ़ाव वितरण अनुज्ञापी के नियंत्रण से बाहर के असामान्य कारणों को छोड़ कर भारतीय विद्युत नियम, 1956, विनियमों या समय–समय पर प्रवृत्त उनके सांविधिक आशोधन द्वारा अनुमन्य परिवर्तन की सीमा से अधिक नहीं होंगे।

4. आपूर्ति का प्रारंभ :

उपभोक्ता का संयोजन के ऊर्जाकरण या वितरण अनुज्ञापी द्वारा लिखित में उसको यह सूचना देना कि संविदाकृत भार की पूरी सीमा तथा विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति इस सहमति पत्र के अधीन उपलब्ध है, दोनों में से जो पहले हो, की तिथि से इस सहमति पत्र की शर्तों के अधीन वितरण अनुज्ञापी से विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति का लेना प्रारंभ किया माना जायेगा।

5. आपूर्ति का बिंदु :

वह बिंदु जिस पर सहमति पत्र के उद्देश्य से विद्युत की आपूर्ति लेना प्रारंभ किया माना जायेगा वह बिन्दु उपभोक्ता के परिक्षेत्र या अन्य स्थान पर जो वितरण अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृत स्थान पर स्थित होगा, पर संस्थापित वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों के आउटगोइंग टर्मिनल्स का बिन्दु होगा।

6. आपूर्ति का विफलता :

वितरण अनुज्ञापी के नियन्त्रण के बाहर के मामलों जिनमें हड़ताल, उपकरण या प्रणाली का ठप्प हो जाना, ग्रिड अवरोध या बाधा, तालाबंदी या ऐसे अन्य कारणों से आपूर्ति प्रभावित हो जिन पर वितरण अनुज्ञापी का नियंत्रण नहीं है, सम्मिलित हैं, को छोड़कर आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी। वितरण अनुज्ञापी, आपूर्ति के विफल होने या इन कारणों से उसके मापदण्डों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी हानि, नुकसान या क्षतिपूर्ति हेतु किन्हीं दावों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

7. उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों का रखना :

उपभोक्ता, इस सहमति–पत्र के अधीन आपूर्ति प्रदान करने के लिये वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों को रखने के लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा अपेक्षित तथा उपयुक्त समझा गया स्थान अपने (उपभोक्ता के) परिक्षेत्र वितरण अनुज्ञापी को बिना किराये के उपलब्ध करायेगा तथा उचित परिचालन हेतु आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगा, यदि आवश्यकता हो तो यह सुविधायें उपभोक्ता द्वारा अपने व्यय पर दी जायेंगी।

ऐसे स्थान का रखरखाव तथा संरक्षण उपभोक्ता द्वारा अपनी लागत पर किया जायेगा।

8. वितरण अनुज्ञापी के उपकरण एवं उपस्कर :

8(ए) वितरण अनुज्ञापी के सभी मीटर, संयंत्र, उपकरण तथा उपस्कर जो उपभोक्ता के परिक्षेत्र में हैं, चाहे वे या उनका कोई भाग उपभोक्ता के परिक्षेत्र या उसके नीचे दबे किसी भाग पर स्थित हो या बांधा गया हो, सदैव वितरण अनुज्ञापी की पूर्णतः तथा एकमात्र स्वामित्व वाली सम्पत्ति रहेगी जिसे केवल वितरण अनुज्ञापी के अधिकृत अधिकारी के अतिरिक्त किसी प्रकार, किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जायेगा। आगे, उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी के साथ इस बात पर भी सहमत है कि–

(i) वितरण अनुज्ञापी अपने उपकरण तथा उपस्कर की अपनी नेम प्लेट या अन्य चिन्ह या संख्या अंकित करने के लिये स्वतन्त्र होगा;

(ii) वितरण अनुज्ञापी के उपकरण तथा उपस्कर उपभोक्ता के परिक्षेत्र में रखे जायेंगे तथा इन्हें उचित रूप से संरक्षित किया जायेगा, इन्हें बेचा नहीं जायेगा तथा इनकी सुपुर्दगी या लेन–देन नहीं किया जायेगा या उपभोक्ता द्वारा इनका कब्जा नहीं छोड़ा जायेगा।

8(बी) वितरण अनुज्ञापी की संपत्ति हेतु उपभोक्ता की जिम्मेदारी :

उपभोक्ता अपने परिक्षेत्र पर वितरण अनुज्ञापी की सम्पत्ति के संरक्षण हेतु उचित देख–रेख करेगा। उपभोक्ता के किसी कृत्य (उपेक्षा सहित) या उपभोक्ता के कारोबार या परिचालन से उत्पन्न कारण से वितरण अनुज्ञापी को हानि या नुकसान होने पर आवश्यक मरम्मत या प्रतिस्थापना की लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर | उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

9.1 उपभोक्ता :

(i) अपने परिक्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी के उपकरण के संरक्षण हेतु उचित देखभाल करेगा, तथा

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिक्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी के उपकरण के साथ कोई गड़बड़ न की जाये। उसे बेचा, किसी के सुपुर्द न किया जाये, परिवर्तन न किया जाये या हटाया न जाये, तथा

(iii) उसके परिक्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी के उपकरण को कोई हानि या नुकसान होने पर आवश्यक मरम्मत व प्रतिस्थापना की लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

9.2 सभी मामलों का प्रक्रमण, इसमें निर्धारित प्रक्रिया तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा किसी संयोजन का ऊर्जाकरण वितरण अनुज्ञापी द्वारा उचित रूप से सत्यापन के पश्चात् ही किया जायेगा।

9.3 उपभोक्ता, उविनिआ (वितरण संहिता) विनियम, 2007, उविनिआ (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 तथा सभी अन्य नियमों / विनियमों को सुसंगत व लागू उपबंधों का पाबंद रहने पर सहमत है।

9.4 इस सहमति पत्र तथा लागू कानूनों की शर्तों के अधीन उपभोक्ता इस बात पर सहमत है कि वितरण अनुज्ञापी की पूर्व सहमति के बिना वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अभिकर्ता, ठेकेदार, कर्मचारी या अन्य आमंत्री इन उपकरणों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस खण्ड के उद्देश्य से हस्तक्षेप में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(ए) वितरण अनुज्ञापी तथा आपूर्ति के बिन्दु के मध्य किसी आपूर्ति के बिन्दु व / या किसी संयोजन का पर्यवसान, निबंधन, ह्रास या बाधा।

(बी) ऐसी किसी संयोजित प्रणाली के माध्यम से किसी पदार्थ या वस्तु की आपूर्ति रोकने या समय—समय पर जिस पर संयोजित किया जाये, ऐसे अन्य साधन या केबल्स, नींव, पाईप्स, नालियों की किसी प्रणाली से किसी उपकरण का संयोजन—विच्छेद या संयोजन में परिवर्तन।

(सी) किसी उपकरण से या उस पर किसी भी स्वभाव की किसी वस्तु या पदार्थ को चिपकाना या हटाना।

(डी) किसी उपकरण को नुकसान पहुंचाना या किसी कार्य को करना या छोड़ देना या हालात का निर्वाह होने देना जिसके परिणामस्वरूप किसी उपकरण को किसी प्रकार का भौतिक नुकसान होने की संभावना हो।

(ई) उपकरण में हस्तक्षेप हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति देना।

(एफ) किसी उपकरण पर किन्हीं मीटर्स या सैटिंग्स में परिवर्तन करना।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

(जी) किसी उपकरण पर पहुंच में व्यवधान डालना।

(एच) किसी द्वार, बाड़, दीवार, अलार्म प्रणाली या बलात् प्रवेश करने वालों को भगाने के साधनों की क्षमता में ह्रास लाना।

उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञापी व/या उपभोक्ता से उपस्कर/नेटवर्क से आपूर्ति हेतु किसी अवैधानिक/अनाधिकृत टैपिंग के बारे में सदैव वितरण अनुज्ञापी को सूचित करेगा।

10. उपकरण उपस्कर :

उपभोक्ता के, वितरण अनुज्ञापी की प्रणाली से जुड़े सभी उपस्कर, उपभोक्ता द्वारा दक्षतापूर्वक परिचालित व अनुरक्षित किये जायेंगे। उपभोक्ता के विभिन्न उपकरणों की सैटिंग्स तथा क्षमताएं वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर नियत की जा सकेंगी।

12. मीटरिंग :

विद्युतीय ऊर्जा तथा इस सहमति–पत्र के अधीन उपभोक्ता द्वारा ली गई अधिकतम माँग को रजिस्टर करने के उद्देश्य से उपरोक्त खण्ड 4 में परिभाषित किये अनुसार आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर एक उपयुक्त मीटरिंग उपस्कर लगाया जायेगा जो कि वितरण अनुज्ञापी की संपत्ति होगी तथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा इसका आशोधन किया जायेगा।

13. मीटरों का परीक्षण :

वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करने पर उपभोक्ता, परीक्षण के निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् किसी भी समय मीटर का परीक्षण करवाने का हकदार होगा। ऐसे मीटर्स सही समझे जायेंगे। यदि त्रुटि की सीमायें भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 57, सुसंगत विनियमों या उसके किसी सांविधिक आशोधन जो कि समय समय पर प्रवृत्त हों, में नियत सीमा से अधिक न हो, यदि ऐसे परीक्षण के परिणामस्वरूप मीटर सही साबित होता है तो वितरण अनुज्ञापी यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 के अनुरूप अपेक्षानुसार उपभोक्ता के लेखे का समायोजन करेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर | उपभोक्ता की मुहर व हस्ताक्षर

14. मीटर रीडिंग :

मीटरों या ऊपर खण्ड 12 में संदर्भित मीटर की रीडिंग एमआरआई के माध्यम से वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियमित अन्तराल में ली जायेगी तथा इस प्रकार ली गई रीडिंग उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युतीय ऊर्जा तथा अधिकतम मांग की राशि के लिये वितरण अनुज्ञापी तथा उपभोक्ता दोनों के लिये निश्चायक तथा बंधनकारी होगी, सिवाय ऐसे मामलों में जहां मीटर से छेड़छाड़ की गई है तथा जिस पर वितरण अनुज्ञापी को जैसा वह उचित समझे, वैसी कार्यवाही करने का अधिकार होगा। वितरण अनुज्ञापी मासिक बिल के साथ एमआरआई की एक प्रति प्रदान करेगा। वितरण अनुज्ञापी समय–समय पर आयोग द्वारा निश्चित राशि के भुगतान पर भार सर्वेक्षण के साथ पूर्ण एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर भी सहमत है :

परन्तु, उपभोक्ता पर न उपारोप्य किसी कारण के लिये वितरण अनुज्ञापी का मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में, उस अवधि जिसमें कि मीटर त्रुटिपूर्ण रहा, का निर्धारण किया जायेगा तथा भुगतान योग्य राशि का समायोजन यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2007 के अनुसार किया जायेगा।

15. ऊर्जा फैक्टर :

उपभोक्ता, आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर मानक डिजायन के उपयुक्त उपकरण जैसे शन्ट केपेसिटर्स इत्यादि स्वयं के व्यय पर संस्थापित करेगा तथा अधिकतम माँग के निर्धारण से सुसंगत अवधि के संबंध में किसी भी समय न्यूनतम 0.85 लैगिंग पर भार के ऊर्जा फैक्टर को बनाये रखने का प्रयास करेगा।

16. आपूर्ति का भुगतान :

उपभोक्ता बिल की गई राशि, जो कि लागू दर अनुसूची के अनुसार शुल्क श्रेणी के अनुरूप परिकलन व अभिनिश्चय पर आधारित हो, पूर्ववर्ती बिलिंग अवधि में आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के लिये वितरण अनुज्ञापी को भुगतान करेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर          उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

17. भुगतान न होना :

उपभोक्ता किसी अंतर या विवाद के होते हुए भी संबंधित नियम तिथि जो कि सामान्य बिल की सुपुर्दगी की तिथि से पन्द्रह दिन होगी, के भीतर बिल या बिलों का पूर्ण रूप से भुगतान करेगा। यदि उपभोक्ता, पूर्वोक्त अनुसार इस सहमति–पत्र के अधीन देय किसी बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह प्रत्येक माह या उसके भाग हेतु उस समय प्रवृत्त आयोग के अनुमन्य शुल्क आदेश के अनुसार दर पर अधिभार का भुगतान करेगा।

उपरोक्त के होते हुए भी, वितरण अनुज्ञापी का, विद्युतीय ऊर्जा काटने के अपने आशय का नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस उपभोक्ता को दिये जाने के पश्चात् विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार भुगतान न होने की दिशा में नियत तिथि के पश्चात् आपूर्ति काटने का अधिकार सुरक्षित है। यदि ऐसी अवधि समाप्त होने पर भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता है तो वह तत्काल आपूर्ति काट सकता है। आपूर्ति का पुनः स्थापन, लागू अधिभार के साथ, आपूर्ति काटने तथा पुनः संयोजन के कार्य हेतु प्रभारों सहित सभी बकाया देयों के पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही किया जायेगा।

18. उद्ग्रहण का भुगतान :

कोई उद्ग्रहण जो वितरण अनुज्ञापी से उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई ऊर्जा पर सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा लगाई गई हो, चाहे इसे विद्युत कर, विक्रय या सेवा कर, चुंगी या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाये, का वितरण अनुज्ञापी द्वारा बिल किये गये अनुसार उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

19. प्रतिभूति जमा :

वितरण अनुज्ञापी द्वारा अपेक्षानुसार, इस सहमति–पत्र के निबंधनों एवं शर्तों के निष्पादन हेतु उपभोक्ता ने प्रतिभूति/उपभोग जमा के रूप में उसके पास रु0 .............................. (रुपया ........................................ मात्र) जमा करा दिया है तथा इसके निःशेष या अपर्याप्त होने की स्थिति में वितरण अनुज्ञापी की माँग पर इस जमा राशि का समय-समय पर नवीनीकरण या पुनःपूर्ति की जायेगी। आयोग के मार्गदर्शकों/विनियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञापी इस प्रकार जमा प्रतिपूर्ति को किसी भी समय या समय–समय पर अनुप्रयुक्त या विनियोजित करने के लिये स्वतन्त्र होगा :

परन्तु, यह खण्ड इस सहमति–पत्र के अधीन ऊर्जा की आपूर्ति या अन्यथा के सम्बन्ध में लागू होगा तथा किन्हीं अन्य अधिकारों या उपाय जिनके लिये वितरण अनुज्ञापी अधिकृत है, पर प्रभाव डाले बिना होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर                    उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

20. **पहुंच का अधिकार :**

**उपभोक्ता, उसको (उपभोक्ता को) आपूर्ति के उचित अनुरक्षण हेतु आवश्यक या अनुषांगिक सभी वस्तुओं को करने तथा वितरण अनुज्ञापी के किसी या सभी उपकरणों के परीक्षण, मरम्मत, नवीनीकरण या बदलाव हेतु तथा मीटर रीडिंग या उसके (उपभोक्ता) संस्थापन के निरीक्षण तथा परीक्षण के उद्देश्य से उसके (उपभोक्ता) परिक्षेत्र में पहुंच हेतु वितरण अनुज्ञापी के उचित रूप से अधिकृत प्रतिनिधियों को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुमति देगा।**

20.1 **आपूर्ति की अवधि :**

**यह सहमति–पत्र, इस के पश्चात् उपबंधित किये अनुसार प्रवृत्त होगा तथा रहेगा जब तक कि नीचे खण्ड 21.2 से 21.4 के अनुसार इसकी वैधता समाप्त न हो जाये।**

21.2 **वितरण अनुज्ञापी के पास निम्नलिखित में से किसी दशा में उपभोक्ता पर इसकी समाप्ति का लिखित नोटिस दे कर सहमति–पत्र को समाप्त करने का अधिकार होगा :–**

(ए) **सुसंगत विनियमों या आयोग के आदेशों के अनुसार उठाई गई अनुज्ञापी की माँग पर इस सहमति–पत्र के खण्ड 19 के अनुसार प्रतिभूति रखने की सुनिश्चितता की बाध्यता हेतु उपभोक्ता के व्यतिक्रम पर, या**

(बी) उपभोक्ता द्वारा उस तिथि पर जिस पर कि राशि भुगतान योग्य है, इस सहमति–पत्र के खण्ड 16 के अनुसार आपूर्ति हेतु भुगतान की पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफलता तथा विच्छेदन का नोटिस दिये जाने की तिथि से पन्द्रह स्पष्ट दिनों की अवधि के भीतर वितरण अनुज्ञापी को संतुष्ट करते हुए उपाय करने की विफलता। परन्तु इस खण्ड के संबंध में सहमति–पत्र को समाप्त करने का अधिकार इसके अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

21.3 उपभोक्ता को निम्नलिखित द्वारा अपने संयोजन को वापस करने तथा सहमति–पत्र को समाप्त करने का अधिकार होगा :–

(ए) वितरण अनुज्ञापी को न्यूनतम एक(1) माह का अग्रिम लिखित नोटिस दे कर तथा वापसी की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम पांच दिन पहले निर्धारित प्रारूप में विच्छेदन हेतु आवेदन कर।

(बी) उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधियों द्वारा परिक्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात्, जिसे वापसी की तिथि से 5 दिनों के भीतर किया जायेगा, जिसके पश्चात् परिक्षेत्र में संस्थापन वितरण अनुज्ञापी के मीटर सहित उपकरण को वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि को प्रदान करने पर।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर — उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

21.4 उपरोक्त के अनुसरण में, वितरण अनुज्ञापी, अंतिम बिल तैयार करेगा तथा उपभोक्ता को सुपुर्द करेगा तथा अन्य विनियम व आयोग द्वारा पारित आदेश के साथ पठित किसी उत्तरवर्ती आशोधन/संशोधन के अधीन यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विच्छेदन हेतु कार्यवाही करेगा।

उपभोक्ता, किसी भी लेखे पर रोक लगाये बिना या बिना घटाव, मुजरे के, ऐसे अंतिम बिल के दिये जाने के 15 दिनों के भीतर वितरण अनुज्ञापी को ऐसे बिल का भुगतान करेगा।

परन्तु, यदि उपभोक्ता अंतिम बिल की युक्तियुक्त पर विवाद उठाता है तो इसे इस सहमति पत्र के खण्ड 26 के अनुसार सुलझाया जायेगा।

22. संविदा का अन्तरण नहीं :

ना ही यह संविदा तथा ना ही इसमें कोई हित, वितरण अनुज्ञापी की लिखित पूर्व सहमति के बिना अन्तरित किया या सौंपा जायेगा।

23. उपभोक्ता द्वारा अभिलेखों का रखना :

उपभोक्ता, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित सरकारी या नगरपालिका विनियमों के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेख रखने में वितरण अनुज्ञापी को सक्षम बनाने हेतु सभी युक्तियुक्त सूचना तथा सुविधाएं वितरण अनुज्ञापी को प्रदान करायेगा। उपभोक्ता, आपूर्ति के उपयोग या इस सहमति पत्र से संबंधित किन्हीं अभिलेखों के परिवर्तन के संबंध में लिखित में वितरण अनुज्ञापी को तत्काल सूचना देगा।

24. लागू नियमों के साथ सहमति पत्र का पढ़ा जाना :

इस सहमति पत्र को लागू नियमों के सुसंगत उपबंधों के सभी तरह से अधीन के रूप में पढ़ा जायेगा तथा समझा जायेगा।

25. क्षतिपूर्ति :

(ए) उपभोक्ता, इस सहमति पत्र के अधीन उपभोक्ता द्वारा लोप या उपेक्षापूर्ण कार्य के फलस्वरूप वितरण अनुज्ञापी द्वारा उठाये गये किसी नुकसान, हानि, लागत तथा व्यय हेतु किसी तथा सभी वादों, कार्यवाहियों, मांगों तथा तृतीय पक्ष दावों के विरूद्ध वितरण अनुज्ञापी की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा तथा हानिरहित ठहरायेगा।

(बी) उपभोक्ता, स्वयं या अपने किसी कर्मचारी द्वारा किसी उपेक्षा या लापरवाही के कारण वितरण अनुज्ञापी की किसी सम्पत्ति को हुए किसी नुकसान या हानि के लिये वितरण अनुज्ञापी का दायी एवं उत्तरदायी भी होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर — उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मुहर

(सी) उपभोक्ता, यदि उसके अपने कोई कर्मचारी हैं तो उन्हें सेवा के दौरान दुर्घटना के कारण लगी चोट, घातक या अन्यथा, पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

26. विवाद का निपटारा :

यदि इन विलेखों या इनमें समावेशित किसी खण्ड या बात पर या इस के परिचालन के इन व्यक्तियों के कारण या उनसे किसी प्रकार संबंधित किसी मामले में इसके पश्चात् अर्थान्वयन या इसके साथ संबंधित कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों हेतु पक्षकारों के मध्य कोई प्रश्न या अन्तर उत्पन्न होता है तो जब तक कि ऐसा प्रश्न या अंतर, यथास्थिति, विद्युत अधिनियम, 2003 में या विशेष रूप से इस सहमति पत्र में नियत नहीं किया गया है, ऐसे प्रत्येक मामले में इस अंतर के मामले को एक मात्र मध्यस्थ के रूप में वितरण अनुज्ञापी के प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जायेगा। मध्यस्थ का अधिनिर्णय इस सहमति के पक्षकारों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। पूर्वोक्त के अधीन मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों तथा उसके अधीन नियम तथा प्रवृत्त उसके वैधानिक आशोधन, इस खण्ड के अधीन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

उपभोक्ता इस बात पर विशेष रूप से सहमत है कि मध्यस्थ के रूप में वितरण अनुज्ञापी के प्रबंध निदेशक या उसके नामित व्यक्ति को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी कि वह वितरण अनुज्ञापी का अधिकारी है या उसने अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान प्रश्नगत मामले से निपटा है या विवाद के सभी या किसी मामलों पर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। मध्यस्थ कार्यवाहियों का स्थल केवल देहरादून होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, सभी पक्षों ने निम्नलिखित अपने हस्ताक्षर के माध्यम से ऊपर प्रथम लिखित दिनांक व दिवस को इन विलेखों को निष्पादित किया या करवाया।

इन के द्वारा हस्ताक्षर किये गये, स्टाम्प/मुहर लगाई गई तथा सुपुर्द किया गया :

| | |
|---|---|
| ............................................ | ............................................ |
| वितरण अनुज्ञापी का अधिकारी<br>के लिये तथा की ओर से<br>(वितरण अनुज्ञापी का नाम) | उपभोक्ता के लिये तथा की ओर से<br>नाम :<br>पदनाम<br>उपभोक्ता स्टाम्प/सील |

साक्षी :

| | |
|---|---|
| 12. हस्ताक्षर ....................................<br>नाम व पता ....................................<br>.................................................. | 1. हस्ताक्षर ....................................<br>नाम व पता ....................................<br>.................................................. |
| 13. हस्ताक्षर ....................................<br>नाम व पता ....................................<br>.................................................. | 2. हस्ताक्षर ....................................<br>नाम व पता ....................................<br>.................................................. |

परिशिष्ट

## संयोजन संक्षिप्ति

पुस्तक संख्या ..............................

सेवा संयोजन संख्या .............................................. पर संयोजित किया ..............................................

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उपभोक्ता का नाम | |
| 2. | टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल सहित पूरा पता जहां विद्युत आपूर्ति अपेक्षित है | |
| 3. | टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल सहित उपभोक्ता का रजिस्टर्ड पता (पोस्टल तथा समीपस्थ भूमि चिन्ह) | |
| 4. | टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल सहित बिलिंग का पता जहां बिल भेजा जाना, अपेक्षित है | |
| 5. | उद्देश्य जिसके लिये आपूर्ति की आवश्यकता है (उपयोग के उद्देश्य अनुसार श्रेणी) | |
| 6. | औद्योगिक / व्यावसायिक / अन्य गतिविधियों का प्रकार | |
| 7. | संविदाकृत भार (केवीए में) | |
| 8. | आपूर्ति की वोल्टेज | |

कुल संयोजित भार .................................... केडब्ल्यू (किलो वाट) (............................ केवीए, 0.85 पीएफ पर)

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता की मुहर व हस्ताक्षर

संलग्नक 2

## प्रारूप एच–2: भार में वृद्धि/कमी हेतु आवेदन

| | |
|---|---|
| आवेदन संख्या | |
| आवेदन की तिथि | |

| भार में वृद्धि (केवीए) | | भार में कमी (केवीए) | |
|---|---|---|---|
| वर्तमान संविदाकृत भार | | वर्तमान संविदाकृत भार | |
| निवेदित बढ़ा हुआ भार | | निवेदित घटा हुआ भार | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. उपभोक्ता सं0 | | | | |
| 2. पुस्तक सं0 | | | | |
| 3. उपभोक्ता का नाम | | | | |
| 4. पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की गई है | स्थल/प्लॉट | | | |
| | कालोनी/क्षेत्र | | | |
| | गली/गांव | | | |
| | नगर/शहर | | | |
| | जिला | | | |
| 5. टेलीफोन नं0 | | | मोबाईल | |

दिनांक : ..................................

आवेदक के हस्ताक्षर

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/89–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।